रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1973/श्रावण 10, 1895

No. 186] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1973/SRAVANA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 1st August 1973

G.S.R. 379(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), No. G.S.R. 314(E), dated the 12th June, 1973, the Central Government hereby directs that the right, title and interest of the owners of each of the coal mines specified against serial numbers 45—219 (both inclusive), 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441, 483 and 583 of the Schedule to the said Act shall, with effect from the 1st day of May, 1973, vest in the Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and having its registered office at Sijua, District Dhanbad in the State of Bihar.

[No. 101(18)/73-CII.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त 1973

सा० का० नि० 397(अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 314 (ई), तारीख 12 जून, 1973 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं० 45 से 219 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए), 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441, 483, और 583 के सामने विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोयला खान के स्वामियों का अधिकार, हक और हित, 1 मई, 1973 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सिजुआ, जिला धनबाद, बिहार राज्य में है, निहित हो जाएंगे ।

[सं० 101(18)/73—सी 2]

G.S.R. 380(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), No. G.S.R. 326(E), dated the 28th June, 1973, the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 29 of the said Act may also be exercised by (a) Shri D. K. Dutta, Chief of Sales, Central Division, Coal Mines Authority, in respect of all the coal mines except those mines specified against serial numbers 45 to 219 (both inclusive), 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441, 483 and 583 of the Schedule to the said Act, and (b) Shri R. N. Sharma, Chairman-*cum*-Managing Director, Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, in respect of the coal mines specified against serial numbers 45 to 219 (both inclusive), 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441, 483 and 583 of the Schedule to the said Act.

[No. 101(18)/73-CII(i).]

P. K. LAHIRI, Director.

सा० का० नि० 380(अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत

सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 326(ई) तारीख 28 जून, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग (क) उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं० 45 से 219 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए), 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441 483, और 583 के सामने विनिर्दिष्ट खानों के सिवाय सभी कोयला खानों की बाबत श्री डी० के० दत्ता, विक्रय-प्रधान, केन्द्रीय प्रभाग, कोयला खान प्राधिकारी द्वारा भी, और (ख) उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं० 45 से 219 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441, 483 और 583 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों की बाबत, श्री आर० एन० शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद द्वारा भी किया जा सकेगा ।

[सं० 101(18)/73-सी० 2(i)]

डी० के० लाहिरी, निदेशक ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973